सीएमएचओ ने किया प्रसूति गृह का निरीक्षण

प्रसव के नाम पर 'न्यौछावर' मांग रहे थे स्वास्थ्यकर्मी*

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 11 जुलाई। शहर के माधोगंज स्थित प्रसूति गृह में प्रसव कराने के बदले ड्यूटी पर तैनात स्टाफ द्वारा प्रसूताओं से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सीएमएचओ के निर्देश पर शनिवार सुबह की गई औचक छापामार कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि ड्यूटी स्टाफ ने तीन प्रसूताओं से 'न्यौछावर' के नाम पर पैसे लिए थे। इस गंभीर मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

ऐसे खुला मामला

कलेक्टर श्रीमती रुचिका सिंह चौहान के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए सीएमएचओ डॉ. एम.एस. सागर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 डॉ. दीपाली माथुर को प्रसूति गृह माधोगंज के औचक निरीक्षण के लिए भेजा। डॉ. माथुर डीपीएचएनओ श्रीमती संविधा के साथ शनिवार सुबह 8:45 बजे ऑटो से वहां पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान वार्ड में 6 प्रसूताएं भर्ती मिलीं अधिकारियों ने जब प्रसूताओं से निजी तौर पर बात की, तो उनमें से तीन में से दो प्रसूताओं ने दबी जुबान से स्वीकार किया कि उनसे प्रसव कराने के एवज में 'न्यौछावर' के नाम पर जबरन राशि वसूली गई है।

सीएमएचओ ने जारी किया नोटिस : मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. दीपाली माथुर ने तत्काल सीएमएचओ डॉ. एम.एस. सागर को अवगत कराया। सीएमएचओ ने इस कृत्य को निंदनीय बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर इस प्रकार की अवैध वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से रात की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इनका कहना है...

'प्रसूति गृह में प्रसूताओं से वसूली का मामला अत्यंत गंभीर है। इसकी पूरी जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी भविष्य में इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।'

डॉ. एम.एस. सागर
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वा.

सीएमएचओ ने दिया सीमित परिवार का संदेश, संगोष्ठी आयोजित

विश्व जनसंख्या दिवस : 14 से चलेगा दस्तक अभियान

ग्वालियर, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. एम.एस. सागर ने स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 'सीमित परिवार' ही खुशहाल जीवन का आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार को सीमित रखकर ही बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सकती है। उन्होंने फील्ड में तैनात कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे आमजन को स्थानीय भाषा में परिवार नियोजन के लाभ समझाएं। कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी-2 डॉ. जीएस राजपूत ने भी विचार व्यक्त किए।

14 जुलाई से शुरू होगा दस्तक अभियान : संगोष्ठी के उपरांत 'स्टाप डायरिया सह दस्तक अभियान' के सफल क्रियान्वयन हेतु अंतर्विभागीय बैठक आयोजित की गई। सीएमएचओ डॉ. सागर ने बताया कि जिले में 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक दस्तक अभियान का प्रथम चरण संचालित होगा। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के शहरी सीडीपीओ भी मौजूद रहे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. राम कुमार गुप्ता ने अभियान की कार्ययोजना साझा करते हुए बताया कि इसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की घर-घर जाकर चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

इन बिंदुओं पर रहेगा फोकस: बीमारियों की पहचान: गंभीर कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया और डिहाइड्रेशन (निर्जलीकरण) की पहचान कर त्वरित उपचार किया जाएगा। **दवाइयों का वितरण:** 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बच्चा 2 ओआरएस के पैकेट और 14 जिंक टैबलेट दी जाएंगी। साथ ही, विटामिन-ए का घोल पिलाया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आईएफए सिरप उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएमएचओ डॉ. सागर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं भ्रमण कर 'दस्तक मॉनिटरिंग टूल' में आवश्यक डेटा की एंट्री सुनिश्चित करें ताकि अभियान के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके।

मैथिलीशरण गुप्त जयंती पर होंगे आयोजन

ग्वालियर, 11 जुलाई। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसायटी द्वारा 27 जुलाई से 3 अगस्त तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य संयोजिका शिखा कट्टल ने बताया कि कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समिति गठित की गई है।

27 जुलाई: चित्रांकन प्रतियोगिता (दीनदयाल सिटी मॉल) 28 जुलाई: नृत्य महोत्सव (बाल भवन) ?29 जुलाई: फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता (दीनदयाल सिटी मॉल) 30 जुलाई: रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता (दीनदयाल सिटी मॉल, शिंदे की छावनी) 31 जुलाई: 'एक शाम मोहम्मद रफी के नाम' संगीतमय कार्यक्रम। 1 अगस्त: नेत्र परीक्षण शिविर (मोदी आई केयर, माधव प्लाजा)। 2 अगस्त: काव्य पाठ।

3 अगस्त: जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण (प्रात: 8 बजे)।

दोस्ती की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी

आरोपी ने होटल ले जाकर किया रेप और बनाया वीडियो

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 11 जुलाई। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक युवक ने अपनी नाबालिग दोस्त को घूमने के बहाने होटल ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने न केवल पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी सद्दाम खान (निवासी लक्कड़खाना पुल) के बीच पिछले दो साल से दोस्ती थी। पीड़िता उसे बचपन से जानती थी। एक अप्रैल को जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तब आरोपी वहां पहुंचा और उसे घूमने के बहाने घर से बाहर ले गया। इसके बाद वह उसे किताब घर के पास स्थित 'होटल' ' ले गया, जहाँ जान से मारने की धमकी देकर उसने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

आरोपी ने घटना के दौरान पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना लिए थे। इसके बाद वह पीड़िता को लगातार धमका रहा था कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ भी बताया, तो वह इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस डर के कारण पीड़िता ने लंबे समय तक इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी उसका शोषण करता रहा।

मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 जुलाई को पीड़िता अपने छोटे भाई की तलाश में अवाड़पुरा गई थी। वहाँ आरोपी सद्दाम उसे मिल गया और किसी अन्य युवक से मिलने का झूठा आरोप लगाकर पीड़िता के साथ मारपीट की। इसकी सूचना मिलने पर पीड़िता की मां उसे लेकर कंपू थाने पहुंची और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। इसी दौरान पीड़िता ने अपनी मां को आरोपी की असलियत, ब्लैकमेलिंग और रेप की पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता और परिजन कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इनका कहना है...

'पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।'

विनोद विनायक करकरे, टीआई, कोतवाली

पैरोल जम्प कर भागा कैदी, जेल में नहीं दी आमद

ग्वालियर, 11 जुलाई। केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक हत्या का दोषी पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद वापस न लौटकर फरार हो गया है। जेल प्रशासन द्वारा बार-बार संपर्क करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बंदी और उसके जमानतदार पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

16 दिन की पैरोल पर था बाहर : जानकारी के अनुसार, दतिया जिले के भांडेर निवासी रायभान सिंह उर्फ राजभान ने वर्ष 2023 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और सुरक्षा कारणों से उसे ग्वालियर केंद्रीय जेल में रखा गया था। उसे बीते 24 जून को 16 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। नियमानुसार, बंदी को 9 जुलाई की शाम तक जेल में वापस आमद दर्ज करानी थी। हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जब वह जेल नहीं लौटा, तो जेल प्रशासन ने उसे खोजने का प्रयास किया। जब उससे और उसके जमानतदार पिता राधेलाल रावत से संपर्क नहीं हो सका, तब जेल प्रबंधन को स्थिति की गंभीरता का अहसास हुआ। ?

जेल प्रहरी ने दर्ज कराई एफआईआर : इस मामले में जेल प्रहरी ने बहौड़ापुर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जेल प्रहरी की शिकायत के आधार पर फरार कैदी रायभान उर्फ राजभान और जमानतदार पिता राधेलाल रावत के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है।

उधारी विवाद में फायरिंग करने वाला आरोपी पकड़ा

ग्वालियर, 11 जुलाई। थाना बिजौली पुलिस ने उधारी के लेनदेन को लेकर हुई फायरिंग के मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। मामला 1 जुलाई का है, जब ग्राम खेरिया मोदी में दीपक बघेल द्वारा अपने पड़ोसी साहब सिंह बघेल से 11 हजार रुपये वापस मांगने पर विवाद हो गया था। आरोप है कि साहब सिंह और उसके साथियों ने फरियादी के माता-पिता पर लाठी-डंडों से हमला किया और राहुल व राजेश ने फरियादी के पिता शिवराम सिंह पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर करगवां तिराहे के पास से आरोपी राहुल बघेल को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक और बाल अपचारी के पास से लाठी जब्त की गई है। पुलिस अब मामले में विस्तृत पूछताछ कर रही है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **पपीता (PAPITA)** पत्नी श्री रामसहाय सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र का नाम **विनोद (VINOD)** है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से **विकास (VIKAS)** लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र का नाम **विनोद (VINOD)** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती है एवं जाएगी। जो उसके शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है विकास एवं विनोद दोनों मेरे ही पुत्र के नाम हैं अत: मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम **विकास** के स्थान पर **विनोद** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम - विकास
वर्तमान नाम - विनोद

सूचनाकर्ता
नाम पपीता पत्नी रामसहाय
पता : जाटव मोहल्ला गुर्री, गुर्री उटीला ग्वालियर,म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र **24 वार्ड क्रं 65**,स्थान **अजयपुर ग्वा0** मे स्थित है जो कि **पुरूषोत्तम दुबे/गोरेलाल** नाम से नगर निगम मे **आई डी क्रं 9000024903** पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल **708** वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा **रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-09072500991892 दिनांक 04.08.2025** द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर **क्षे.क्र 24**, पर दिनांक **11.07.2026** को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
देवेन्द्र कुमार गोयल/श्री रघुवर
पता-अजयपुर ग्वा0(म.प्र.),मो0-8871052791
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.07.2026

नाम परिवर्तन सूचना

मैं कमला देवी **(KAMLA DEVI)** पत्नी श्री रमेश सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम **मुन्नी बाई (MUNNI BAI)** था जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में **कमला देवी (KAMLA DEVI)** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं एवं जाऊंगी। जो मेरे शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है मुन्नी देवी एवं कमला देवी दोनों मेरे ही नाम हैं अत: मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम **मुन्नी देवी** के स्थान पर **कमला देवी** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम : मुन्नी देवी
वर्तमान नाम : कमला देवी
पत्नी श्री रमेश ग्राम बरेह, मुरैना म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बेटे के पासपोर्ट में बेटे का नाम शिवांक (SHIVANK) अंकित है जबकि मेरे बेटे के आधार कार्ड में बेटे का पूरा नाम शिवांक शर्मा (SHIVANK SHARMA) अंकित है। मेरे बेटे के पासपोर्ट संख्या- S4628658 में मेरे बेटे के नाम शिवांक (SHIVANK) के आगे सरनेम अंकित नहीं है। इस कारण मैं अपने बेटे के पासपोर्ट में बेटे का पूरा नाम शिवांक शर्मा (SHIVANK SHARMA) अंकित कराना चाहता हूँ। मेरे बेटे का वास्तविक नाम SHIVANK SHARMA (शिवांक शर्मा) है, जो कि मेरे बेटे के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड आदि में भी अंकित है। अत: भविष्य में मेरे बेटे को SHIVANK SHARMA (शिवांक शर्मा) के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

सूचनाकर्ता - प्रतीक शर्मा
सी- 40, न्यू साकेत नगर, तानसेन रोड़, आर पी कॉलोनी, ग्वालियर, (म.प्र.) 474002

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मनीष कुमार अवस्थी **(MANEESH KUMAR AVASTHI)** पुत्र श्री रामनाथ सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम **अश्विन कुमार (ASHWIN KUMAR)** है मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से **अस्वन (ASVAN)** लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र का नाम **अश्विन कुमार (ASHWIN KUMAR)** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो उसके शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है अस्वन एवं अश्विन कुमार दोनों मेरे ही पुत्र के नाम हैं अत: मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम अस्वन के स्थान पर अश्विन कुमार लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम : अस्वन
वर्तमान नाम : अश्विन कुमार

सूचनाकर्ता नाम
मनीष कुमार अवस्थी पुत्रश्री रामनाथ
पता अंगद वाली गली उत्तम पुरा मुरैना म.प्र.

Chetna Rajawat पुत्री SUB Yashpal Singh Rajawat सेना संख्या: 'JC 858137Y', यूनिट: 404 Lt. AD निवासी: ग्राम व पोस्ट- रौन, वार्ड नं. 9, तहसील रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) 477335 शपथ कथन करती हूं कि मेरा नाम मेरे पिता के सरकारी दस्तावेज में हिंदी में नाम **चेतना** कर दिया है जबकि अंग्रेजी में **Chetana** किया है जोकि गलत है और हिंदी व अंग्रेजी में मेरे नाम में से **Rajawat** भी हट गया है, जबकि मेरा हिन्दी में सही नाम **चेतना राजावत** एवं अंग्रेजी में **Chetna Rajawat** है। अत: मैंने अपना नाम **Chetana** से बदलकर **Chetna Rajawat** कर लिया है। **Chetana** और **Chetna Rajawat** दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे ही हैं। अत: आज के बाद मेरे सभी दस्तावेजों में मैं केवल **Chetna Rajawat** के नाम से ही जानी-पहचानी जाऊंगी। उक्त तथ्य की सत्यता में ई-स्टाम्प कोड क्र. 01012808072026011418
दिनांक 08/07/2026

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **राजाबेटी कुशवाह** RAJABETI KUSHWAH **पत्नी रघुनंदन सिंह कुशवाह** RAGHUNANDAN SINGH KUSHWAH **व्यवसाय - ग्रहणी निवासी - 130,ग्राम कुवरपुरा,चंदोख,भिण्ड,म.प्र. 477441** शपथ - पूर्वक सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि-

(1) यह कि मेरा व मेरे पति का सही नाम राजाबेटी कुशवाह **RAJABETI KUSHWAH** पत्नी रघुनंदन सिंह कुशवाह **RAGHUNANDAN SINGH KUSHWAH** है और मेरा व मेरे पति का यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं मेरे पति के पेंशन अदायगी आदेश पर भी लिखा हुआ है। यह कि मेरे आधार कार्ड नं 5053 8856 8797 पर त्रुटि के कारण मेरा व मेरे पति का नाम रामबेटी पत्नी रघुनंदन सिंह कुशवाह **RAGHUNANDANA SINGH** लिखा हुआ है जोकि मेरा व मेरे पति का गलत नाम है। यह कि मुझे अपने आधार कार्ड पर अपना व अपने पति का सही नाम राजाबेटी कुशवाह **RAJABETI KUSHWAH** पत्नी रघुनंदन सिंह कुशवाह **RAGHUNANDAN SINGH KUSHWAH** लिखवाना है जिस हेतु म.प्र. के राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता है अत: प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा व मेरे पति का सही नाम राजाबेटी कुशवाह **RAJABETI KUSHWAH** पत्नी रघुनंदन सिंह कुशवाह **RAGHUNANDAN SINGH KUSHWAH** जाना, पहचाना लिखा व पढ़ा जाये एवं तदानुशार ही दर्ज किया जाए।

प्रेषक
राजाबेटी कुशवाह RAJABETI KUSHWAH
पत्नी रघुनंदन सिंह कुशवाह RAGHUNANDAN SINGH KUSHWAH
निवासी - 130,ग्राम कुवरपुरा,चंदोख,भिण्ड,म.प्र. 477441, द्वारा धर्मेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट नोटरी- भारत सरकार, मोब: 9926568987

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं. 50, भवन क्रं. 1310, स्थान: पिछाड़ी ड्योटी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती शालिनी सुखीजा / निशान्त सुखीजा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000298669 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. ... दिनांक ... के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाड़ा क्षे.क्रं. 19 पर दिनांक 07.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 82/2011/25609/25693 / प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
मुकेश कुमार लालवानी / तोताराम रक्षा लालवानी / मुकेश कुमार लालवानी
पता: पिछाड़ी ड्योडी, वार्ड-50
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 11-07-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 37, भवन क्रं. .., स्थान: जाग्रती नगर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती दिलीप कुमार कुकरेजा / श्री श्यामलाल कुकरेजा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000287489 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 721 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A100793342 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 10.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/39314/61496/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती विज्जी राठौर / श्री संजय राठौर
पता: जाग्रती नगर, वार्ड-37
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 11-07-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 37, भवन क्रं. .., स्थान: नयापुरा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रामनारायण, किशनलाल बाथम पुत्रगण श्री भोपाराम बाथम के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000287490 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 630 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 10.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/39315/61497/ प्र.क्रं. *3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
मोहम्मद इकबाल / श्री अब्दुल गफूर
पता: नयापुरा, वार्ड-37
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 11-07-2026

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **विपिन कुशवाह (VIPIN KUSHWAH)** पुत्र श्री कोमल कुशवाह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम **विपेन्द्र कुशवाह (VIPENDRA KUSHWAH)** था जो मेरे आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में **विपिन कुशवाह (VIPIN KUSHWAH)** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं एवं जाऊंगा। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है विपेन्द्र कुशवाह एवं विपिन कुशवाह दोनों मेरे ही नाम हैं अत: मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विपेन्द्र कुशवाह के स्थान पर विपिन कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम विपेन्द्र कुशवाह विपेन्द्र कुशवाह
वर्तमान नाम विपिन कुशवाह

शपथकर्ता - विपिन कुशवाह
पुत्र श्री कोमल कुशवाह पता ग्राम पडरी कला, ग्राम पंचायत राखरासोहन दतिया म.प्र.

आम सूचना

श्री रमेश पुत्र श्री भागीरथ के स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित तिरूपति विहार कॉलोनी, ग्राम बड़ागाँव, प.ह.नं.91, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.61 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.971/1 एवं 971/2 ग्राम बड़ागाँव का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 733 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में भूखण्ड विक्रेता, पश्चिम में रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड गजेन्द्र सिंह एवं दक्षिण में भूखण्ड दीगर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री हमीर सिंह पुत्र श्री प्यारेलाल के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री हमीर सिंह का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हमीर सिंह एवं अन्य उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री ओमप्रकाश राजपूत द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री रमेश पुत्र श्री भागीरथ को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592023ए11339446 दिनांक 09.01.2023 से विक्रय की गई। श्री रमेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान सितारा हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्री हमीर सिंह के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

नाम एवं जन्मतिथि परिवर्तन सूचना

मैं **अमर सिंह पिताजी** No. 4569479M Rank- HAV (Retd.) Name- RAY SINGH BAGHEL निवासी- ग्राम व पोस्ट- खितौली, तहसील- गोहद, जिला- भिण्ड म.प्र. पिन- 477116 सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम AMAR SINGH BAGHEL एवं जन्म दिनांक **10/02/1958** त्रुटिवश दर्ज हो गया है जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में नाम **AMAR SINGH** एवं जन्म दिनांक **01/01/1956** दर्ज है जो कि सत्य व सही है. अत: मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम **AMAR SINGH BAGHEL** के स्थान पर **AMAR SINGH** एवं जन्म दिनांक **10/02/1958** के स्थान पर **01/01/1956** दर्ज किया जावे। सत्यापित ऐफिडेविट नं. DM 417712 दिनाँक 11/07/2026

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम राजेश मोगिया **(RAJESH MOGIYA)** है जो कि मेरे, खसरा. वोटर कार्ड, बैंक पास बुक और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम राजश्री आदिवासी है। राजश्री आदिवासी और राजेश मोगिया दोनो ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अत: इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम राजश्री आदिवासी **(RAJSHRI ADIWASI